1 जुलाई से बैन होंगे प्लास्टिक के 19 आइटम, आप रहें तैयार

एक्सपर्ट के अनुसार शुरुआत अच्छी, लेकिन लोगों को विकल्प देना भी जरूरी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

1 जुलाई से 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगने जा रही है। इसके अलावा लोगों को अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार शुरुआत अच्छी है, लेकिन लड़ाई काफी लंबी है। सिर्फ इन 19 आइटमों को बैन कर प्लास्टिक कचरे में कमी नहीं लाई जा सकती है। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वह 1 जुलाई से होने वाले बदलाव के लिए तैयार हो। साथ ही जिन चीजों को हटाया जा रहा है, उनके विकल्प भी लोगों को देने की जरूरत है।

प्लास्टिक को लेकर टॉक्सिक लिंक की एक स्टडी 2019 में सामने आई थी। जिसमें बताया गया था कि राजधानी में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट (कचरा) इन्फॉर्मल सेक्टर (रीसाइकलिंग प्लांट की जगह अन्य जगहों पर पहुंचने वाला कचरा) में जा रहा है। कई प्लास्टिक ऐसे हैं, जिन्हें कोई लेने को तैयार नहीं है। इनमें खाने के सामानों के पैकेट, नूडल्स के पैकेट, बिस्किट और चिप्स के मल्टी लेयर पैकेट आदि शामिल हैं। इनका दोबारा इस्तेमाल करना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए यह राजधानी की लैंडफिल साइटों पर ही जाते हैं। सर्वे में यह भी पाया गया कि रीसाइकलिंग प्लांट दवाइयों और बिस्किट की पैकिंग के पाउच और ट्रे लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। इनका महज 20 प्रतिशत हिस्सा ही रीसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचता है। स्टडी में बताया गया था कि राजधानी के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट में शैंपू, बॉडी वॉश, पेन, पेट बॉटल, ट्यूब्स आदि की मात्रा काफी अधिक है। टॉक्सिक लिंक के अनुसार प्लास्टिक लैंडफिल साइट में पड़े-पड़े मिट्टी, पानी आदि को प्रदूषित कर रही है। वहीं, विकल्प के तौर पर स्टील, गिलास, सिरेमिक, बांस को अपनाया जा सकता है।

जरूरी है कदम

- एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ इन 19 आइटमों को बैन कर प्लास्टिक कचरा कम नहीं कर सकते हैं
- लोगों को अभी से इसके लिए जागरूक करना जरूरी, जिससे कि इनके बैन होने पर वे पहले से तैयार रहें

प्लास्टिक को आउट करने की तैयारी में इस बार क्या अलग: सोईएस के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर सिद्धार्थ घनश्याम सिंह के अनुसार इस बार जो नोटिफिकेशन हुआ है वह केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है। पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का प्रयास हुआ है। अभी तक इस तरह के नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट जारी कर रही थी। दूसरी बात यह है कि जिन आइटमों पर रोक लगाने की तैयारी है, इन आइटमों की पहचान भी स्टडी के आधार पर की गई है। यह भी पहली बार हुआ है। ग्राउंड पर इसका असर देखने के लिए कम से कम एक से दो साल लग सकते हैं। एनफोर्समेंट इसमें अहम भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में ऐसी और चीजें पहचानी होंगी और इन पर भी रोक लगानी होगी। फैक्ट्री वालों का सबसे अहम रोल होगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि यह चीजें कितना नुकसान कर रही हैं। फैक्ट्री वालों को ऑप्शन देने होंगे कि वह दूसरी चीजें बनाएं। जैसे कि निश्चित मोटाई के कैरी बैग।

यह भी करना होगा

- लोगों को बताना पड़ेगा कि यह चीजें कितना नुकसान कर रही हैं
- फैक्ट्री वालों को ऑप्शन देने होंगे कि वह दूसरी चीजें बनाएं। जैसे कि निश्चित मोटाई के कैरी बैग।

क्या है डीपीसीसी की तैयारी

- ऐसे बाजारों की पहचान की जा रही है, जहां पॉलीथिन बैग का इस्तेमाल अधिक हो रहा है।
- वहीं, सभी बाजारों में ऐसी जगह की पहचान हो रही, जहां लोगों को कपड़ों के बैग मिल सकें।
- आर्मी और पुलिस वाइफ असोसिएशन के साथ एनजीओ से कम कीमत वाले कपड़ों के थैले तैयार करना।
- पुराने अखबारों से एनजीओ की मदद से पेपर बैग तैयार करवाना।
- सभी एजेंसियों के पानी के एटीएम एक ऐप से जोड़ना।
- स्कूलों और चैरिटेबल स्कूलों में बर्तन बैंक की स्थापना।
- इको फ्रेंडली कटलरी आसानी से उपलब्ध करवाना।

FB PAGE -- HPPSC STUDENT

टॉक्सिक लिंक के अनुसार प्लांट में नहीं जाता इतना प्लास्टिक

ये आइटम होंगे बैन

प्लास्टिक की डंडियों वाले ईयर बड, बलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट्स, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर आदि।